

कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी
संख्या 181879/10-स्था0(466)/ख.वि.अ./स्थाना./2025-26 दिनांक 10 जून 2025.

:: स्थानान्तरण आदेश ::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के आलोक में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर में उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित खण्ड विकास अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में इंगित वर्तमान तैनाती विकास खण्ड/जनपद से स्तम्भ-04 में उल्लिखित विकास खण्ड/जनपद में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र. सं.	खण्ड विकास अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरित विकास खण्ड/जनपद
01	02	03	04
1	श्री प्रवीण भट्ट	विकास खण्ड अगस्तमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग	विकास खण्ड लक्सर, जनपद हरिद्वार

2- उक्त स्थानान्तरित खण्ड विकास अधिकारी को उक्तानुसार अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के तहत किसी भी प्रकार स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

3- उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

ह0/-
(अनुराधा पाल)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

पृष्ठांकन संख्या 181879 / उक्तांकित
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपरोक्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
2. खण्ड विकास अधिकारी, लक्सर (जनपद हरिद्वार)/अगस्तमुनि (जनपद रुद्रप्रयाग)।
3. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार।
4. जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार।
5. मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार।
6. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।

Digitally signed by अपर आयुक्त,
BHARAT CHANDRA BHATT
Date: 10-06-2025
17:01:22
ग्राम्य विकास।

:: स्थानान्तरण आदेश ::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017) के आलोक में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर में उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित खण्ड विकास अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में इंगित वर्तमान तैनाती विकास खण्ड/जनपद से स्तम्भ-04 में उल्लिखित विकास खण्ड/जनपद में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17(1)(ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत जनहित में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र. सं.	खण्ड विकास अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरित विकास खण्ड/जनपद
01	02	03	04
01	श्री राजेन्द्र प्रसाद जोशी	विकास खण्ड मोरी, जनपद उत्तरकाशी	विकास खण्ड खानपुर, जनपद हरिद्वार

2. उक्त स्थानान्तरित खण्ड विकास अधिकारी एक सप्ताह अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण कर लिया जाना सुनिश्चित कर लें। सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी उक्तानुसार स्थानान्तरित खण्ड विकास अधिकारी को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

4. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/-
(अनुराधा पाल)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

पृष्ठांकन संख्या 181877 / उक्तांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपरोक्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
2. खण्ड विकास अधिकारी, मोरी (जनपद उत्तरकाशी)/खानपुर (जनपद हरिद्वार)।
3. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22(1) के आलोक में इस आशय के साथ कि सात दिन के पश्चात् उपरोक्त सम्बन्धित स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जाय।
4. जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार।
5. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार।
6. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।

Digitally signed by
BHARAT CHANDRA BHATT
Date: 10-06-2025
17:00:31

अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास।